सीताराम अग्रवाल एवं अन्य

बनाम

सुब्रत चंद्र और दमकृष्ण धारा एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3319/2008)

6 मई, 2008

(न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा एवं लोकेश्वर सिंह पांटा)

हिंदू कानूनः

धर्मार्थ बंदोबस्ती-देनदार सम्पत्ति-शेबैत द्वारा बिक्री-का प्रभाव-देवत्ता के नाम पर शेबैत द्वारा खरीदी गई संपत्ति-देवता के नाम पर संपत्ति को परिवर्तित करने वाले अधिकारों का अभिलेख-शेबैत द्वारा बिक्री-निर्णित, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति नवोदित होने का निष्कर्ष निकाला गया और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद, एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं है-यह साबित करने का दायित्व दावा करने वाले पक्षकार पर था कि बिक्री में देवता का नाम गलती से लिखा गया था और लेनदेन 'बेनामी' चरित्र का था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाए गए थे-साक्ष्य-सबूत का भार-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136.

वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी के पिता द्वारा देवता के शेबैत के रूप में खरीदी गई थी। उन्होंने उक्त संपत्ति अपीलकर्ता संख्या 1 व 2 को दो पृथक-पृथक विक्रय विलेख के जरिये बिक्री कर दिया। अपीलार्थी संख्या 2 ने वर्ष 1964 में मुकदमा संख्या 130 उक्त शेबैत के खिलाफ इस घोषणा के लिए दायर किया कि मुक़दमे की संपत्ति एक नवोदित

संपत्ति नहीं थी। मुक़दमा एकपक्षीय डिक्री किया गया क्योंकि शेबैत ने मुकदमे में भाग नहीं लिया था। उत्तरदाताओं, जो शेबैत के बेटे और बेटियाँ थे, उन्होंने एक और वाद दायर किया जिसमें तर्क दिया गया कि मुक़दमे की संपत्ति एक नवोदित संपत्ति थी और शेबैत बिक्री विलेख निष्पादित नहीं कर सकता था। मुकदमे को विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संपत्ति उक्त विक्रेता द्वारा अपने स्वयं के धन से खरीदी गई थी और चूंकि वह जीवित था, इसलिए वादी के पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हालांकि संपत्ति को नवोदित के रूप में और विक्रेता को केवल शेबैत के रूप में रखा। विक्रेताओ की दूसरी अपील खारिज होने पर उन्होंने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1 बिक्री विलेख शेबैत के माध्यम से देवता के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उक्त बिक्री विलेख में एऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि शेबैत का इरादा उक्त संपत्ति को अपने लाभ के लिए खरीदने का था। यह तथ्य कि विक्रय विलेख न केवल देवता के नाम पर बल्कि अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया था, स्पष्ट रूप से उक्त क्रेता के इरादे को दर्शाता है। अधिकारों के अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुकदमे की संपत्ति देवता के नाम पर उत्परिवर्तित कर दी गई थी। तथ्य यह है कि खरीदारों ने अपने विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दायर करना आवश्यक समझा, यह दिखाने के लिए एक संकेतक है कि उक्त मुकदमा एक साजिशपूर्ण था। इसमें न तो देवता को पक्षकार बनाया गया और न ही राज्य सरकार को। [पैरा 10 और 13] [958-डी, ई, 960-ई, एफ]

महारानी ब्रोजोसोन्डेरी डेबिया बनाम रानी लुचमी कूनवारी और अन्य 1873 (XX) साप्ताहिक रिपोर्टर 95- प्रतिष्ठित।

एस. शनमुगम पिल्लई एवं अन्य बनाम के. शनमुगम पिल्लई एवं अन्य (1973) 2 एस. सी. सी. 312-संदर्भित।

राम जानकीजी देवता और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य। (1999) 5 एस. सी. सी. 50-अनुपयुक्त ठहराया गया।

1.2 यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि क्या उक्त संपत्ति की आय का उपयोग दान के उद्देश्य से या शेबैत के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाना था। अपीलकर्ताओ का सकारात्मक मामला केवल यह था कि देवता का नाम गलती से बिक्री के विलेख में किया गया था। इसे साबित करने की जिम्मेदारी उन पर थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया कि देवता अस्तित्व में थे। अपीलकर्ता की दलील है कि देवता अस्तित्व में नहीं थे। स्पष्ट रूप से नकार दिया गया था। अपीलकर्ता ने शेबैत की जांच नहीं की। यदि अपीलकर्ता ने यह तर्क उठाया कि लेनदेन चरित्र में 'बेनामी' था, तो इसे साबित करना उनका काम था। [पैरा 17] [962-डी, ई, एफ]

1.3 इसके अलावा, जो प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए हैं वे उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाए गए हैं। जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष प्रतिपादित किया गया था, अपील के ज्ञापन में विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं उठाया गया है। कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया था। यहां तक कि सटीक रूप से कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं। शर्तों को विशेष अनुमति याचिका में लिया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है। अपील में कोई सार नहीं है।[पैरा 18 और 19] [962-जी, 963-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 3319/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एस. ए. टी. सं. 3600/2004 में निर्णय एवं आदेश दिनांकित 16.2.2005 से।

अब्राथस मजूमदार, अभिष्ठ कुमार, अर्चना सिंह और विभाकर मिश्रा अपीलार्थीगण की ओर से।

डी. भरत कुमार, एम इंद्राणी, अभिजीत सेनगुप्ता और सतीश विग प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गया

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 16.02.2005 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.7.2004 से अपीलकर्ता द्वारा दूसरी अपील दायर की गई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तृतीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी।

3. क्या विचाराधीन संपत्ति एक नवोदित संपत्ति है यह मुद्दा यहाँ शामिल है।

4. निर्विवाद रूप से, यह मामला बादल दास और बलराम दास का था। उन्होंने दिनांक 03.05.1954 के पंजीकृत विलेख के माध्यम से अपना अधिकार, स्वामित्व और हित किसी अमर चंद्र धारा के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने उक्त सम्पत्ति को देवता श्री श्री दुर्गामाता ठकुरानी की विरासत के रूप में खरीदा था। उक्त अमर चंद्र धारा ने बदले में 2.31 एकड़ जमीन अपीलकर्ता संख्या 2 के पक्ष में और शेष 22 सेंट जमीन अपीलकर्ता संख्या 1 के पक्ष में दो विक्रय विलेखों द्वारा दिनांक 14.05.1963 को बेच दी।

5. दूसरे अपीलकर्ता ने उक्त अमर चंद्र धारा के खिलाफ न्यायालय मुंसिफ, दुबराजपुर में वाद संख्या 130/1964 इस उद्घोषणा के लिए पेश किया कि वाद की सम्पत्ति नवोदित नहीं थी। यह वाद उनके पक्ष में एकतरफा डिक्री किया गया था। अमर चंद्र धारा ने मुकदमा नहीं लड़ा। हालांकि उत्तरदाताओं, जो उक्त अमर चंद्र धारा के बेटे और बेटियाँ थे, ने यह कहते हुए एक मुकदमा दायर किया कि जिस संपत्ति पर विचार किया जा रहा है वह एक नवोदित संपत्ति है। अमर चंद्र धारा दिनांक 14.05.1963 को बिक्री के उक्त कार्यों को निष्पादित नहीं कर सकते थे।

सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), दुबराजपुर ने मुकदमा खारिज कर दिया गया और कहा कि संपत्ति अमर चंद्र धारा द्वारा अपने स्वयं के धन से खरीदी गई थी और वादी के पास अमर चंद्र धारा के जीवित रहते वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। यह राय दी गई कि समर्पण विलेख और बिक्री विलेख के बीच अन्तर मौजूद है।

6. उत्तरदाताओं ने निर्णय व आदेश दिनांकित 30.07.2003 के विरूद्ध अपील दायर की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सूरी, बीरभूम ने उक्त अपील को यह मत व्यक्त करते हुए स्वीकार कर लिया कि बिक्री का उक्त विलेख दिनांक 03.05.1954 को देवता के पक्ष में निष्पादित किया गया था और अमर चंद्र धारा केवल एक सेबैत था। देवता श्री श्री दुर्गामाता ठकुरानी अस्तित्व में थे और इस मामले को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति उनके नाम पर खरीदी गई थी।

7. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांकित 16.02.2005 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया, दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

8. श्री मजूमदार, विद्वान अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है क्योंकि

वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने गलत राय दी कि दिनांक 03.05.1954 को बिक्री का उक्त विलेख प्रभावी था और वास्तव में एक बेनामी लेनदेन था। बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम का इसके संबंध में कोई अनुप्रयोग नहीं था। यह आग्रह किया गया था कि दिनांक 03.05.1954 के विक्रय विलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि समर्पण पूरा नहीं हुआ था और इस प्रकार, उक्त अमर चंद्र धारा के लिए संपत्ति को अलग करने का विकल्प खुला था, खासकर जब यह विक्रय विलेख के संदर्भ में ही हस्तांतरणीय हो।

9. प्रत्यर्थी की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत सेनगुप्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

10. विक्रय विलेख सेबैत के माध्यम से श्री श्री दुर्गामाता ठकुरानी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। उक्त विक्रय विलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अमर चंद्र धारा ने उक्त सम्पत्ति को अपने लाभ के लिए खरीदने का इरादा किया था। यह तथ्य कि विक्रय विलेख न केवल देवता के नाम पर बल्कि अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया था, स्पष्ट रूप से उक्त क्रेता के इरादे को दर्शाता है।

11. विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि बिक्री के उक्त विलेख के कारण, विक्रेता ने हस्तांतरण का अधिकार हासिल कर लिया है, जो यह दर्शाता है कि संपत्ति नवोदित संपत्ति नहीं थी, हमारी राय में, पूरी तरह से गलत धारणा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में हस्तांतरण की ऐसी शक्ति प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं है, यह अंतर्निहित है। विक्रय विलेख निष्पादित करते समय क्रेता के हित का विक्रेता के पक्ष में हस्तांतरण आवश्यक है। विक्रेता संपत्ति के साथ कैसे व्यवहार करेगा, यह विक्रेता की चिंता का विषय नहीं है। यदि विक्रेता, किसी कारण से, कानून के किसी प्रावधान या अन्यथा किसी कारण से संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं कर सकता है, तो इस तरह के

प्रतिबंधित अधिकार को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता कि प्रासंगिक समय पर अमर चंद्र धारा के हितों के अभिनिर्धारण में मुद्दे के निर्धारण के लिए क्या आवश्यक होगा। देवता की स्थापना कैसे हुई, यह ज्ञात नहीं है। क्या अन्य संपत्तियां इसके पक्ष में समर्पित की गई थी, यह भी ज्ञात नहीं है। अमर चंद्र धारा को शेबैत के रूप में किस आधार पर नियुक्त किया गया, यह भी ज्ञात नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा महारानी ब्रोजोसोन्डेरी डिबिया बनाम रानी लुचमी कूनवारी और अन्य [1873 (XX) साप्ताहिक रिपोर्टर 95] पर भरोसा जताया गया है। उक्त निर्णय उच्च न्यायालय फोर्ट विलियम, बंगाल द्वारा पारित एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुआ है जिसको [1869 (XI) WLR 13] में रिपोर्ट किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय और प्रिवी कौंसिल के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या मूर्ति की स्थापना सार्वजनिक पूजा के लाभ के लिए की गई थी। उक्त मामले के तथ्यों में, उक्त प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए नकारात्मक दिया था:

"लेकिन सवाल यह है कि क्या तथाकथित दान का उचित रूप से कोई सबूत है। दान का सबूत क्या है? यह स्पष्ट रूप से जनता के लाभ के लिए एक दान नहीं था। मूर्ति की स्थापना सार्वजनिक पूजा के लाभ के लिए नहीं की गई थी। यहाँ कोई पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है, कोई ब्राह्मण नहीं है जिनका कोष में कोई कानूनी हित है। यह किसी भी हिंदू के लाभ के लिए धार्मिक सेवा करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों के समर्थन के लिए संपन्न मंदिर की तरह नहीं है,जो चाहे वहां जाए। यह केवल महाराजा द्वारा स्थापित एक मूर्ति है, जाहिर तौर पर अपने ही घर में और किस उद्देश्य से? क्योंकि उनकी अपनी पूजा के लिए हमारे पास पूजा के कुछ निश्चित चरणों का दावा करने वाले वाद हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई सबूत नहीं है ना ही पूजा का अधिकार स्थापित किया गया। किसी भी तरह से यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है

कि महाराजा का इरादा था कि मूर्ति को उनके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए हमेशा के लिए रखा जाना चाहिए और इससे पहले कि यह स्थापित किया जा सके कि भूमि हमेशा के लिए शाश्वत हो गई है ताकि उन्हें कभी बेचा नहीं जा सकता और उन्हें हमेशा के लिए बांधा जाना चाहिए, दान के स्पष्ट प्रमाण दिए जाने चाहिए। दान की वस्तुएं क्या हैं, की कोई भी अनिवार्यता नहीं बताई गई है। एेसा प्रतीत होता है कि महाराजा ने मूर्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी है और बस इतना ही। फिर वह मूर्ति के धन के साथ इस तरह व्यवहार करता है मानो वह उसकी अपनी संपत्ति हो। मूर्ति के पक्ष में दान की अनिवार्यता के कोई प्रमाण नहीं है।"

ऐसे किसी मामले की पैरवी नहीं की गई। इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

12. उस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह सवाल देखा कि क्या महाराजा गोविंदनाथ राय को पता था कि संपत्ति मूर्ति के नाम पर है, इस तथ्य का निर्णायक था कि असली खरीदार कौन था और लाभार्थी कौन था। उच्च न्यायालय ने स्वयं माना कि यह एक तथ्य का प्रश्न था।

13. इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि संपत्ति का सौदा कैसे किया गया है। दान केवल नाम मात्र था, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है। पक्षकारों का आचरण वास्तविक न्यास की स्थापना के अनुरूप था या नहीं, यह ज्ञात नहीं है।

इस मामले में, जाहिर तौर पर अधिकारों के अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चला है कि इसे देवता के नाम पर उत्परिवर्तित किया गया था। तथ्य यह है कि खरीदारों ने विक्रेता के खिलाफ सूचक के रूप में मुकदमा दायर करना आवश्यक समझा, यह दिखाने

के लिए एक संकेतक है कि उक्त मुकदमा एक साजिशपूर्ण था। इसमें न तो देवता को एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था अौर न ही पश्चिम बंगाल राज्य को। अधिकार अभिलेख में देवता के नाम की प्रविष्टि किस आधार पर की गई, यह ज्ञात नहीं है। उक्त इकाई की सत्यता इस मुकदमे का आधार हो सकती है लेकिन देवता को एक पक्ष के रूप में क्यों शामिल नहीं किया गया, यह ज्ञात नहीं है।

14. विद्वान अधिवक्ता द्वारा एस. शनमुगम पिल्लई एवं अन्य बनाम वी. के. शनमुगम पिल्लई एवं अन्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 312] पर भी भरोसा जताया गया है। इस न्यायालय ने उसमें स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या किसी संपत्ति का समर्पण पूर्ण या आंशिक किया गया था, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है:

> ''समर्पण पूरा हुआ है या नहीं, यह स्वाभाविक रूप से एक तथ्य का प्रश्न होगा जिसे संबंधित दस्तावेजात की शर्तों पर प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि प्रश्न में समर्पण एक दस्तावेज के तहत किया गया था तो ऐसे मामले में यह हमेशा एक मामला होता है कि पक्षकारों के सच्चे इरादे का पता लगाया जावे। यह स्पष्ट है कि इस तरह के इरादे को समग्र रूप से विचार किए गए दस्तावेज के निष्पक्ष और उचित निर्माण पर एकत्रित किया जाना चाहिए। यदि संपत्ति की आय का उपयोग किसी दान के उद्देश्य के लिए किया जाना है और इसके केवल एक नगण्य और मामूली हिस्से को उपासक या प्रबंधक के रख-रखाव के लिए उपयोग करने की अनुमति है, यह मानना सम्भव हो सकता है कि समर्पण पूरा हो गया है।''

15. हमारा ध्यान राम जानकीजी देवता एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [(1999) 5 एस. सी. सी. 50] की और भी आकर्षित किया गया है जिसमें यह राय दी गई थी:

"नवोदित की अवधारणा में दो आवश्यक विचारों को निष्पादित करना आवश्यक है। पहले स्थान पर देवता को समर्पित संपत्ति एक आदर्श अर्थ में देवता में ही एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में निहित होती है और दूसरे स्थान पर व्यक्तित्व मूर्ति का शेबैत के प्राकृतिक व्यक्तित्व से जुड़ा होना, प्रबंधक होना या धर्मकर्ता होना और मूर्ति की देखभाल किसे सौंपी गई है और मूर्ति की संपत्ति के संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि रघुनंदन, मत्स्य और देवी पुराणों में इस बात का वर्णन एक समान नहीं है कि छवि की प्रतिष्ठा कैसे होती है, लेकिन यह प्रथा है कि छवि को पहले स्नान मंडप में ले जाया जाता है और उसके बाद संस्थापक संकल्प मंत्र का उच्चारण करता है और पूरा होने पर उसकी छवि को पवित्र जल, घी, दही, शहद और गुलाब जल से स्नान कराया जाता है और उसके बाद पवित्र अग्नि को आहुति दी जाती है जिसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है और उस विशेष में शाश्वत आत्मा का संचार किया जाता है। फिर मूर्ति और छवि को मंदिर में ले जाया जाता है और उसके बाद उसे आैपचारिक रूप से देवता को समर्पित किया जाता है। लकड़ी या पत्थर का एक साधारण टुकड़ा छवि या मूर्ति बन सकता है और दिव्यता का श्रेय उसी को दिया जाता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह निराकार, आकारहीन है लेकिन यह एक विशेष दिव्य अस्तित्व की मानवीय अवधारणा है जो इसे आकार और रंग देता है। हालांकि यह सच है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कुछ प्रतिष्ठित लेखकों

को उद्धृत किया है लेकिन हमारे विचार में, यह इस मामले में कोई सहायता नहीं देता है और एेसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा हिंदू कानून के सिद्धांतों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा गया है।''

16. उस मामले में, यह सवाल उठा कि क्या किसी देवता को बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 के संदर्भ में अलग इकाइयाँ आवंटित की जानी चाहिए। देवता के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने माना कि ऐसी इकाइयो को आवंटित किया जाना चाहिए।

17. जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है कि इस मामले में, यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि क्या उक्त संपत्ति की आय का उपयोग दान के उद्देश्य से या अमर चंद्र धारा के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाना था। अपीलकर्ताओ का सकारात्मक मामला केवल यह था कि श्री श्री दुर्गामाता ठकुरानी का नाम गलती से विक्रय विलेख में लिखा गया था। इसे साबित करने की जिम्मेदारी उन पर थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया कि देवता अस्तित्व में थे। अपीलकर्ता की यह दलील की देवता अस्तित्व में नहीं था, स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। अपीलकर्ताओ ने उक्त अमर चंद्र धारा की जांच नहीं की। यदि अपीलकर्ता ने यह तर्क उठाया कि लेनदेन चरित्र में 'बेनामी' था, तो इसे साबित करना उनका काम था।

18. इसके अलावा, जो प्रश्न हमारे समक्ष उठाए गए हैं, वे उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाए गए हैं, कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, अपील के ज्ञापन में तैयार नहीं किया गया था। यहां तक कि

विशेष अनुमति याचिका में सटीक शब्दों में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं उठाया गया है।

19. प्रथम अपील के विद्वान न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यो के निष्कर्ष को मध्यनजर रखते हुए, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता है। इस अपील में कोई सार नहीं है, इसे तद्नुसार लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। अधिवक्ता की फीस 25,000/- रूपये (केवल पच्चीस हजार रूपये) निर्धारित की जाती है।

20. हालाँकि, हमारे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि संपत्ति जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अर्जित की गई है, उसके लिए देय मुआवजे की राशि केवल देवता के रखरखाव के लिए खर्च की जाएगी। फैसले की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के आधिकारिक संरक्षक को भेजी जा सकती है जो उस संबंध में आवश्यक कदम उठा सकता है।

अपील खारिज ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार शर्मा, तृतीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।